(5)

# Council of Architecture

Certificate of Registration

This is to certify that the name of Shri/~~Shrimati~~

PREM PARKASH VERMA

has been entered in the register and his/~~her~~ Registration No. is

CA/ 95/19001

This certificate is valid from the twentieth

day of September 199 5 to the thirtyfirst

day of December 199 6

List of Additional Qualification :

Given under the common Seal of the Council of Architecture,

this twentieth day of September, 1995

Secretary

President

Renewals

| Year | Signature of Registrar |
|---|---|
| 1997 / 1998 | Vinod Kumar 21.1.97 |
| Valid upto 31.12.1999 | Vinod Kumar 29.12.98 |
| Valid upto 31.12.2000 A.D. | Vinod Kumar 21.1.2000 |
| Valid upto 31.12.2001 A.D. | Vinod Kumar 26.12.2000 |
| Valid upto 31.12.2002 A.D. | Vinod Kumar 25.1.2002 |
| Valid upto 31.12.2003 A.D. | Vinod Kumar 24.12.2002 |
| Valid upto 31.12.2004 A.D. | Vinod Kumar 23.12.2003 |
| Valid upto 31.12.2005 A.D. | Vinod Kumar 7.12.2004 |
| Valid upto 31.12.2006 A.D. | Vinod Kumar 28.12.2005 |
| Valid upto 31.12.2007 A.D. | Vinod Kumar 28.12.2006 |
| Valid upto 31.12.2008 | Vinod Kumar 13.12.2007 |

For Survey plan of Badarpur Village, New Delhi-110044

ARCHITECT
P. P. VERMA
C.A./95/19001
D.D.A. FLAT
DELHI-110095

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

दिल्ली DELHI E 450954

## INDEMNITY BOND

This Indemnity Bond is made at New Delhi on this 15th day of March 2008 between Shri Brajnand, President of Tarif Jan Kalyan Samiti (Regd.), Office Address Shop No. 222, B-1, Badarpur, Delhi-110044, hereinafter called the Executant

Whereas we shall abide by the rules and regulations and orders of the Govt. of N.C.T. of Delhi, M.C.D., and D.D.A. etc.

Whereas we shall also pay necessary development charges for providing of Electricity, Water, Sewarage, and Drainage etc. as may be fixed by the concerned authorities.

Where as we indemnify the local body / DDA, in respect of all necessary measures for retrofitting against the seismic requirement and offer structural stability of, the building etc.

In witnesses whereof this Indemnity Bond is made on this 15th day of March 2008 in the presence of the following witnesses.

Witnesses :

Pawan Kumar
PAWAN KUMAR
179, MAIN MKT
BADERPUR N.D-44

15 MAR 2008

The Seal of Notary Public
Dinesh Chandra
Advocate
Area DELHI
No. 775
Appointed by Govt. Of India

ATTESTED
(Dinesh Chandra)
Notary Public
DELHI (INDIA)

Vinod Rawat
106 Sec-45 Faridabad
Haryana.

Brijanand
Executant

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु. 10

TEN RUPEES

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

दिल्ली DELHI

17AA 418194

## UNDERTAKING

I, Brajnand, President of Tarif Jan Kalyan Samiti (Regd.), Office Address Shop No. 222, B-1, Badarpur, Delhi-110044, do hereby solemnly affirm and undertake as under :-

1. That we shall abide by the layout plans as may be approved with or without conditions.

2. That we shall pay necessary development charges for provisions of Electricity, Water, Sewerage, and Drainage and any other charges may be fixed by the DDA or the concerned local bodies.

3. That we shall surrender the land required in favour of DDA or the MCD / NDMC free of cost in order to provide for roads or other Civil amenities or community facilities in conformity with the planning development control norms.

## VERIFICATION :

Verified at New Delhi on this 15th day of March 2008 that the contents of the above said undertaking are true and correct to the best of my knowledge and belief.

15 MAR 2008

ATTESTED

(Dinesh Chandra)
Notary Public
DELHI (INDIA)

DEPONENT

सकता है । जो कि समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 13 के अनुसार होगा ।

21. निपटान धारा – 14: उपरोक्त अनुसार समिति को विघटन होने के पश्चात उसकी चल व अचल संपति को सदस्यों में नहीं बाँटा जायेगा अपितु समिति पंजीकरण अधिनियम 1850 की धारा – 14 के अनुसार 75 प्र. श. सदस्यों के बहुमत से उसे लेते ही समान उद्देश्यों वाली समिति को दान के रूप में दे दिया जायेगा ।

22. उपसमिति / शाखा:कार्यकारिणी सभा अपने उददेश्यो की पूर्ति के लिए (भारत या विदेश)मे शाखा या उपसमिति का गठन करेगी।

23. सलाहाकार बोर्ड: कार्यकारिणी सभा किसी भी समय किसी भी मुददे को हल करने के लिए एक सलाहाकार बोर्ड का गठन करने के लिए अधिकृत है। कार्यकारिणी सभा किसी भी पदाधिकारी या कार्यकारिणी सदस्य को इस सलाहाकार बोर्ड का अध्यक्ष / प्रधान नियुक्त कर सकती है।

24. वैधानिक कार्यवाही :
यथाप्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 6 के अधिन उल्लेखित उपबन्धो के अनुसार संस्था अध्यक्ष / महासचिव नाम से मुकददमा चला सकती है।

25. संशोधन : ज्ञापन पत्र तथा नियम एवं उपनियम मे संशोधन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली मे यथाप्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा– 12 एवं 12 ए के अनुसार किया जायेगा।

26. अधिनियम को लागू करना: समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 पंजाब संशोधन अधिनियम 1957 जैसा कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली मे है के समस्त इस समय पर लागू होगें ।

27. अनिवार्य प्रमाण पत्र :प्रमाणित किया जाता है कि यह समिति के नियमों एवं उपनियमों की सही प्रति है ।

और समिति के नाम के मुकदमा दायर करने अथवा करवाई करने का अधिकार केवल महासचिव को ही होगा जो कि समिति पंजीकरण अधिनियम् 1860 की धारा – 5 के अनुसार होगा ।

13. नियम एवं उपनियम में संशोधन धारा – 12: किसी भी नियम एवं उपनियम में यदि कोई संशोधन करना अनिवार्य हुआ तो उसे कार्यकारिणी कर सकेगी किन्तु उसकी पुष्टि साधारण सभा करेगी । यह समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 12 के अनुसार ही होगा ।

14. ज्ञापन– पत्र में संशोधन धारा – 12 एवं 12 ए : यदि ज्ञापन – पत्र में काई संशोधन करना अनिवार्य हुआ तो साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 12 एवं 12– ए. के अनुसार किया जा सकेगा ।

15. कार्यकारिणी का समय: कार्यकारिणी का समय 5 वर्ष होगा जो सभा में हुये चुनाव की तिथि से माना जायेगा ।

16. वितीय वर्ष: वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च तक का होगा ।

17. आडिट: लेख परीक्षक: हिसाब – किताब को आडिट करवाकर साधारण सभा में प्रस्तुत किया जायेगा । आडीटर की नियुक्ति कार्यकारणी करेगी ।

18. सूचना देना : किसी भी प्रकार की बैठक की सूचना विधिवत साधारण सभा की सूचना दस दिन एवं कार्यकारिणी सभा की बैठक की सूचना कम से कम सात दिन पूर्व तथा अपातकालीन बैठक 2 घंटे के पश्चात् बुलाई जा सकेगी ।

19. कार्यकारिणी की वार्षिक सूची: धारा – 4: हर वर्ष बाद कार्यकारिणी सदस्यों व पदाधिकारियों की सूची, नाम, पता व पद सोसाइटी, पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा – 4 के अनुसार रजिस्टरार आफ सोसायटीज दिल्ली में जमा की जायेगी ।

20. विघटन धारा – 13: कार्यकारिणी की साधारण सभा 2/3 प्रतिशत सदस्यों के बहुमत से इस समिति को विघटित किया जा

7. धन की सुरक्षा : समिति के धन की सुरक्षा हेतु अध्यक्ष, महासचिव, तथा कोषाध्यक्ष तीनों पदाधिकारियों के नाम जोयन्ट खाता राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाक खाने में जमा किया जायेगा । और रूपया निकालने के लिए कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा । इसके अलावा अध्यक्ष, महासचिव मे सें किन्हीं एक के हस्ताक्षरों से रूपया निकाला जा सकेगा । हर पद के हिसाब – किताब का बौरा कार्यकारिणी सभा से नियुक्त एक कोलिफाईट आडिटर से आडिट करवायेंगें ।

8. त्याग पत्र देनाः समिति का कोई भी सदस्य अथवा पदाधिकारी यदि त्याग पत्र देता है तो उसे कार्यकारिणी सभा में प्रस्तुत किया जायेगा और कार्यकारिणी का निर्णय अंतिम होगा ।

9. कोरम गण पूर्तिः कार्यकारिणी सभा व साधारण सभा की बैठको में 2/3 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य होगा इससे कम की उपस्थिति में बैठक स्थगत कर दी जायेगी, और स्थिगत की गई बैठक पुनः तीन दिन पश्चात बुलाई जा सकेगी । और पुनः बुलाई गई बैठक कोरम का पूरा होना अनिवार्य नहीं होगा ।

10. रिक्त स्थान : कार्यकारिणी सभा के पदाधिकारियों का चुनाव साधारण सभा में गुप्त मतदान द्वारा किया जायेगा । बराबर मत आने पर अध्यक्ष को अपना एक कास्टिंग वोट देने का अधिकार होगा । जिन सदस्यों का चंदा देना बकाया होगा, उन सदस्यों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा । नये चुने गये पदाधिकारियों की सूची इस पद से जाने वाले पुराने तीन पदाधिकारियों से हस्ताक्षर करवाकर पंजीकरण अधिकारी दिल्ली को दी जायेगी।

11. चुनाव प्रणाली कार्यकारिणी सभा के पदाधिकारियों का चुनाव 5 साल बाद साधारण सभा में गुप्त मतदान द्वारा किया जायेगा । बराबर मत होने पर अध्यक्ष को अपना एक कास्टिंग वोट देने का अधिकार होगा जिन सदसयों को चंदा बकाया ।

12. न्यायालय धारा –8: यदि न्यायालय में कोई मुकदमा आदि दायर करना पडा तो वह समिति के नाम ही दायर किया जायेगा ।

के पत्र व्यवहार करना और प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप से चलाना होगा ।

2. संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्र व्यवहार करेंगें ।
3. संस्था के समस्त सदस्यों, कर्मचारियों आदि को उचित सलाह, मशवरा, आदेश, निर्देश आदि देंगें ।
4. वार्षिक विवरण तैयार करके साधारण सभा में प्रस्तुत करेंगें ।
5. समस्त सदस्यों का विवरण रखेंगें, आवश्यकता पडने पर समिति के कार्य के लिए रू ———— तक व्यय कर सकेंगें । इससे अधिक व्यय के लिए कार्यकारिणी को अनुमति लेना अनिवार्य होगा ।

6. सचिव : महासचिव की अनुपस्थिति में यह सभी मीटिगों का आयोजन करेगा , मीटिंग के आयोजन में सदस्यों को एकत्रित करेगा । तथा मीटिंगों, सम्मेंलनों का कार्यभार लेगा देगा ।

7. कोषाध्यक्ष :

1. यह समिति का आय – व्यय का हिसाब किताब सुचारू रूप से रखेगा
2. अध्यक्ष, महासचिव, कार्यकारिणी द्वारा सभी बिलों का भुगतान रसीद लेकर करेगें
3. चंदा इकट्ठा करेगें ।
4. आवश्यकता पडने पर समिति के कार्य हेतु 200/– रूपये तक खर्च कर सकेगें इससे अधिक खर्च के लिए कार्यकारिणी को अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

5. सदस्य:

क. समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना ।
ख. बैठकों का पालनें में सहयोग देना ।
ग. पारित प्रस्तावों के अंनुसार समिति के कार्यो में कियात्मक सहयोग देना।

6. आय के स्रोत:

क. चन्दे द्वारा ।
ख. सदस्यता शुल्क द्वारा ।
ग. अनुदान, भारत सरकार द्वारा तथा समाज द्वारा ।
घ. समिति की जो भी आय होगी, उसकी समिति के उद्देश्यों मे ही उपयोग किया जायेगा ।

9. **समिति के साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्यः**

क. समिति के समस्त सदस्यों को एकत्र करके साधारण सभा का गठन किया जायेगा, इसकी बैठक वर्ष के बाद होनी अनिवार्य होगा, जिसकी सूचना दस दिन पूर्व देनी आवश्यक होगी ।

ख. बैठक की कार्यवाही आरम्भ करने के लिए 1/ 3 सदस्यों की उपस्थित होना अनिवार्य होगा ।

ग. समिति को कार्यकारिणी का चुनाव 5 वर्ष बाद गुप्त मतदान द्वारा साधारण सभा में हुआ करेगा ।

घ. समिति का समस्त आय–व्यय का ब्यौरा आहित करवाकर साधारण सभा में प्रस्तुत किया जायेगा । जिसकी पुष्टि साधारण सभा करेगी।

ङ. यदि किसी भी सदस्य के उपर समिति का नियम के अनुसार शुल्क जमा नहीं है तो वो किसी भी पद के लिए उम्मीदवार नहीं बन सकता ।

10. समिति की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार और कर्तव्यः

1. अध्यक्षः

क. साधारण सभा और समिति की कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और कार्य को सुचारू रूप से चलाने के आदेश देगा ।

ख. समिति सभी कार्यों एवं सदस्यों की देखभाल करेगा ।

ग. बराबर मत जाने पर अध्यक्ष को अपना एक कास्टिंग वोट देने का अधिकार होगा ।

घ. अध्यक्ष कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर आलइंडिया के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आलइंडिया स्तर तथा प्रदेश स्तर, जिला स्तर ब्लाक स्तरपर अस्थाई पदाधिकारी नियुक्त कर सकता है

च. आवश्यकता पडने पर समिति / एसो. के कार्य हेतु रू. ............ /– तक व्यय करने का अधिकार होगा, इससे अधिक व्यय के लिए कार्यकारिणी को अनुमति लेना अनिवार्य होगा ।

छ कार्यकारिणी कोई भी निणर्य बिना अध्यक्ष की अनुमति के नही लेगी।

2. उपाध्यक्षः अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके सभी कार्यकमों को पूरा करेगा और उनको अपना पूर्ण सहयोग देगा ।

3. महासचिव :

1. कार्यकारिणी की साधारण सभा एवं कार्यकारिणी की बैठकों को बुलाना, कार्यवाही लिखना, नियमों को कियान्वित कराना, हर किस्म

5. पुनः प्रवेश : यदि संबंधित सदस्य सारी पिछली रकम जका करा देगा तो उसे पुनः प्रवेश दिया जा सकता है इस संबंध में आम सभा का निर्णय अंतिम होगा। यह 3–5 पर लागू होगा ।

6. समिति को साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :
क. हर सदस्य को साधारण सभा में भाग लेने का अधिकार होगा
ख. दो सप्ताह का नोटिस देकर कार्यकारिणी की अनुमति से समिति रिकार्ड को चैक करने का अधिकार होगा ।
ग. समिति के चुनाव में वोट देने का अधिकार समिति के पहचान पत्र व सदस्य की लिस्ट के हर सदस्य को होगा ।
घ. एक समय में एक पद के लिये कोई भी सदस्य चुनाव में भाग ले सकता है । लेकिन उसके उपर समिति द्वारा निधार्रित कोई शुल्क बकाया न हो ।

7. समिति : समिति की कार्यकारिणी का गठन एवम पद निम्न प्रकार से होगें।सदस्य की कार्यकारिणी ने कम से कम 2 और अधिक से अधिक 21 सदस्य होगें।

1. अध्यक्ष .................... एक
2. उपपाध्यक्ष .................... एक
3. महासचिव .................... एक
4. सचिव .................... एक
5. कोषाध्यक्ष .................... एक
6. सदस्य .................... एक
.................... 2

8. कार्यकारिणी समिति के कर्तव्य
क. समिति के कार्यकारिणी की बैठक एक माह में एक बार अनिवार्य होगी । इसके लिये सात दिन पहले सूचना देना अनिवार्य होगा । आपातकालीन बैठक ततकाल बुला जा सकेगी ।
ख. समिति / एसो. के समस्त कार्यों की देखभाल कार्यकारिणी करेगी ।
ग. समिति के कार्यो के लिए नौकरी आदि रखना, निकालना अथवा उनका वेतन घटाना व बढाना आदि – 2 कार्य कार्यकारिणी के जिम्मे होगा ।
घ. कार्यकारिणी राष्ट्रीय बैठक बुलाकर कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आल इंडिया स्तर तथा प्रदेश स्तर, जिला स्तर, ब्लाक स्तर, पर अस्थाई पदाधिकारी नियुक्त कर सकती हैं ।

# संस्था के नियम व उपनियम

1. संस्था का नाम : तरीका जन कल्याण समिति

2. सदस्यता :

सदस्य बनने के लिये निम्नलिखित अहर्तताएं आवश्यक हैं।

1. कोई भी व्यक्ति स्त्री व पुरूष जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम की नही जिसमें सरकारी नौकरी भी शामिल है वह सदस्य बन सकता है ।
2. वह किसी प्रकार से नैतिक दोषी न हो तथा किसी अपराध मे न्यायालय से किसी प्रकार दण्डित न किया गया हो ।
3. उदेदश्यों मे अपनी पूर्ण अस्था रखता हो तथा नियम व उपनियम का पालन करने का वचन बद्व हो । नियमों का उल्लंघन करनेवाले को संस्था से बाहर कर दिया जायेगा ।
4. साधारण सदस्य बनने के लिये सदस्य शुल्क 101/-
5. सालाना शुल्क 21/-निधारित समय पर जमा करवाये ।
6. आजीवन सदस्यता शुल्क ——/-
7. प्रत्येक पांचवर्ष बाद चुनाव हुआ करेगा ।
8. सदस्य की सदस्यता नियम के विरूद्व समाप्त नहीं की जायेगी उसकी सूचना सदस्यों को दी जायेगी ।
9. यदि समिति किसी सदस्य को सदस्य बनाने से इंकार करेगी तो उसकी सूचना देगी ।

3. सदस्यता से वंचित होना :

क. त्याग पत्र देने पर

ख. मृत्यु अथवा पागल हो जाने पर

ग. नियम व उपनियम में उल्लंघन करने पर ।

घ. किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध मे दंडित किये जाने पर

ड. सालाना चंदा न देने की सूरत में ।

च. सदस्य समाप्ति की सूचना सदस्य को दी जायेगी ।

छ. यदि समिति किसी को समिति से बाहर निकालेगी, तो उसकी सूचना सबको दी जायेगी ।

4. अपील : सभी अपीलें समिति को आम सभा में की जा सकती हैं । आम सभा का निर्णय अंतिम व मान्नीय होगा । यह पैरा तीन के अधीन होगा।

15
33/15

5. इच्छुक व्यक्ति:–हम अधोहस्ताक्षरित संस्था के ज्ञापन पत्र का अनुसरण करते हुए संघ राज्य दिल्ली मे यथा प्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 पंजाब संशोधन अधिनियम के अधीन "नारीका जन कल्याण समिति", उक्त नामित संस्था की स्थापना करने व इसको पंजीकृत कराने के इच्छुक है।

| क.स. | नाम व पता | व्यवसाय | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 1 | Birja Nand<br>444, Badarpur village<br>New Delhi-110044 | Business | Brijanand |
| 2 | Amrit Singh<br>442 A, Badarpur village<br>New Delhi-110044 | " | अमृतसिंह |
| 3 | Naveen<br>442 A Badarpur village<br>New Delhi-110044 | | [signature] |
| 4 (Birja Nand) | VEENA<br>444 A Badarpur village<br>New Delhi-110044 | | Veena |
| 5 | Kamal Raj Verma<br>179, Badarpur village<br>New Delhi-110044 | " | कमल |
| 6 (Birja Nand) | Rupesh Kumar<br>-222, B Main Market<br>Badarpur village | " | Rupesh |
| 7 | Shyam Singh<br>442, Badarpur village<br>New Delhi-110044 | " | [signature] |

Govt. of India
M.K. Singh
Regd. No. 2307
Notary Public

19 FEB 2008
ATTESTED
NOTARY PUBLIC
DELHI (INDIA)

कार्यकारिणीः— संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली मे यथा प्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 2 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कार्यकारणी जिसको संस्था द्वारा संस्था का प्रबन्ध सौपा गया है, इन वर्तमान सदस्यों के नाम, पते, व्यवसाय व पदनाम इस प्रकार हैं।

| क.स. | नाम व पता | व्यवसाय | पद |
|---|---|---|---|
| 1 | Birja Nand 444 Badarpur village New Delhi-110044 | Business | अध्यक्ष |
| 2 | Amrit Singh 442 A, Badarpur Village New Delhi-110044 | " | उपाध्यक्ष |
| 3 | Naveen 442 A Badarpur Village New Delhi-1100[illegible] | | महासचिव |
| 4 | VEENA 444, Badarpur village New Delhi-110044 | " | सचिव |
| 5 | Kamal Raj Verma 179, Badarpur village New Delhi-110044 | " | कोषाध्यक्ष |
| 6 | Rupesh Kumar -222 B main Market Badarpur village | " | सदस्य |
| 7 | Shyam Singh 442, Badarpur village New Delhi-110044 | " | सदस्य |

Birja Nand

44 सरकार द्वारा विशेष स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार – प्रसार करना, क्षयरोग, कैंसर, एड्स आदि बीमारियों के बारे में सरकारी कार्यक्रम का ज्ञान देना एवं चिकित्सा सुविधा हेतु सही मार्गदर्शन करना ।

45 संक्रामक रोगों जैसे एच.आई.वी. एवं एड्स के प्रति लोगों में जागरूकता लाना तथा जानलेवा बीमारियों की रोकथाम करना, समय –2 पर रक्तदान शिविर आदि लगाना ।

46 विक्लांगों के सेवार्थ विभिन्न योजनायें बनाना एवं संचालन करना ।

47 संस्था के उददेश्यो की पूर्ति के लिए संस्था के नाम मे जमीन और या भवन आदि खरीदना या किराने पर लेना देना।

48 संस्था की समस्त आय आयकर की अधिनियम की धारा 11 (5)1961 के तहत जमा की जायेगी ।

संस्था की चल या अचल संपत्ति से प्राप्त समस्त आय व कमाई ज्ञापन पत्र में उल्लेखित संस्था के उददेश्य व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पूर्णतः प्रयोग की जायेगी और लगायी जायेगी तथा इसका कोई भी लाभ संस्था के वर्तमान या निवर्तमान सदस्यों के माध्यम से दावा करनेवाले किसी एक या किसी कोई सदस्य संस्था की चल या अचल संपत्ति पर कोई व्यक्तिगत दावा नहीं करेगा या इसकी सदस्यता के आधार पर किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं करेगा।

37/

18

35 पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना तथा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना ।

36 सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुचना तथा सरकारी भागीदारी योजना के अर्न्तगत सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करना।

37 अ. गरीबों व जरूरत मंदों की सेवार्थ को–ओपरेटिव सोसाईटिज की स्थापना करना एवं विधिवत संचलान करना ।
ब. समाज में बेरोजगारी एवं गरीबी के उन्मूलन हेतु लघु उधोगों एवं हस्त कलाओं की स्थापना करना एवं संचालन करना ।

38 आम जनता के उपयोग के लिए कम्युनिटी हॉल, बारातघर, वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, हैल्थकेयर सेंटर, संगीतालय, नृत्यालय, अनाथालय, बालवाडी, आंगनवाडी, शिशुगृह (जच्चा–बच्चा केन्द्र) वाचनालय, पुस्तकालय, डिस्पेसरी, हास्पिटल, स्टेडियम, स्टूडियो और रात्रि निवास आदि का निर्माण करना तथा विभिन्न सार्वजनिक सामाजिक विकास के कार्यक्रम चलाना व उनका संचालन करना।

39 संस्था के सदस्यों व आम जनता के हितों व अधिकारों की रक्षा के लिए संबंधित विभागों से पत्र व्यवहार करना व आवश्यकता पड़ने पर न्यायालयों में जाना तथा संबंधित अधिकारियों से मुलाकात करना ।

40 प्राकृतिक आपदाओ जैसे– बाढ, सूखा, भूकम्प और तूफान आदि के समय पीडितो की चिकित्सा, भोजन, आवास, यातायात व अन्य सामग्री मुहैया कराना और हर संभव सहायता प्रदान करना।

41 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो मे पेयजल (प्याऊ) आदि का निर्माण, व्यवस्था एवं रखररखाव का प्रबन्ध करना, उद्यान आदि का निर्माण एवं व्यवस्था तथा इन सबसे सम्बन्धित संस्थाओ का सहयोग लेना–देना।

42 स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के निजी व्यवसायो की शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान करना ।

43 शिक्षा, संस्कृतिक व अन्य सामाजिक गतिविधियां के विकास के लिए विभिन्न कार्य योजना व कार्य कमांकों को चलाना जैसे– प्रौढशिक्षा, निबंध प्रतियोगिताएं प्रदर्शनी, जलसे सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यकम, प्रेस कांफेस आदि ।

26 समाज में बढती कुरीतियों को समाप्त करना और बचत के प्रति जागरूक करना ।

27 संस्था के माध्यम से समाज के सभी वर्गो मे धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्र प्रेम की भावना को बढाना तथा समाज व राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करना।

28 अ: समाज में बढते भ्रष्टाचार एव उपभोक्ता संरक्षण के प्रति जागरूकता एवं भ्रष्टाचार निवारण में सहायता करना ।

29 समाज के आर्थिक विकास के लिए एक कोष की स्थापना करना जिसमें की प्रत्येक सदस्य के हर माह संस्था के सदस्यों को जरूरत पडने पर ऋण उपलब्ध करवाना तथा ब्याज राशि को संस्था के उद्देश्यों में लगाना और समाज का जीवन स्तर उंचा उठाने का प्रयास करना ।

30 समाज की भलाई हेतु सांस्कृतिक शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

31 समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों जैसे छोटी उम्र में शादी करना, दहेज व्यवस्था के खिलाफ कार्यकम को लागू करने में सरकार की सहायता करना तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों को बढावा देने के लिए सामाजिक संगोष्ठि करना ।

32 समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, बालविवाह, रूढिवादिता, बालश्रम, नशा आपसी रंजिश इत्यादि इनके अलावा अन्य गैर कानूनी कार्य अपराध में लिप्त होने को रोकने के संबंध में आवश्यक प्रभावशाली व कानूनी प्रयास करना ।

33 समाज माध्यम के विकास के लिए टंकण, शॉटहैड, कला, कापट, पेंटिंग, संगीत, नृत्य, शारिरीक शिक्षा और योग आदि की शिक्षा देने के लिए विभिन्न केन्द्र स्थापित करना व इन प्रशिक्षण केन्द्रों को आर्थिक मदद करना व उनका सुचारू रूप से संचालन करना ।

34 नशा मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना तथा समाज के नशा मुक्त बनाने का प्रयास करना, समय समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन करना, बहुजन हिताय बहुजन सुखय की नीति अपनाकर समाज को आत्मनिर्भय बनाने का प्रयास करना ।

29/C

(20)



15 बापूवादी दृष्टिकोणों का प्रचार प्रसार अहिंसा रचनात्मक कार्य ग्राम निर्माण श्रमदान, ग्रामों की सफाई सामूहिक सहयोगी कार्य भावना का विकास आदि कार्य का प्रयास करना ।

16 महिलाओं के लिए सिलाई, कढाई, बुनाई, कताई व दस्तसकारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास करना ।

17 गरीब आदिवासी एवं अनुसूचित जाति व विमुक्त जनजातिकी महिलओं के लिये प्रोढ शिक्षा केन्द्र, बाल विवाह, बालवाडी, आंगनवाडी, शिल्पकला केन्द्र की व्यवस्था करने का प्रयास करना और उन्हें कुटीर उद्योगों के लिये बैंकों से सहायता दिलाने का प्रयास करने का प्रयास करना ।

18 नेत्रहीन विकलॉग मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिये शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना ।

19 ग्रामीण विकास हेतु मलिन बस्तियों का सुधार करना गलियों, मार्ग का निर्माण करवाना घर –2, में सुलभ शौचालय, बायो गैस का उत्पादन व प्रयोग करना विद्युत व्यवस्था करने का प्रयास करना।

20 जिन संस्था के सदस्यों व आम जनता में बंधुत्व, सहयोग, भाईचारा और राष्ट्र प्रेम की भावना को बढाना ।

21 समाज को संगठित करना तथा समाज के विकास व सुरक्षा शांति कायम करने के लिए हर संभव प्रयास करना ।

22 समाज में अच्छी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तथा समाज के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करना ।

23 समाज में बढते अपराध को रोकना तथा समाज व राष्ट्र के साथ जोडना।

24 भारतीय सविंधान में प्रदत्त सामाजिक न्याय, शिक्षा और आर्थिक उत्थान के लिए प्रयास करना तथा शैक्षिक संस्थाये खोलना और प्रबंध व्यवस्था आदि करना ।

25 महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कार्य करना तथा गरीब परिवार की कन्याओं की शादियां करवाना और उनकी आर्थिक सहायता करना ।

5 ग्राम विकास हेतु ग्रामवासियों के जीवन स्तर सुधारने हेतु उनको सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना तथा ग्रामोद्योग से सहायता दिलाने का प्रयास करना ।

6 ग्रामों एव मलीन बस्ती के क्षेत्र के नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा जीवन स्तर ऊँचा उठाना तथा लघु उद्यम हेतु कमजोर वर्ग को सहायता तथा उनको संस्था द्वारा उचित मार्ग देने का प्रयास करना ।

7 ग्रामों एवं शहरों के निर्बल वर्गो के उत्थान हेतु कुटीर एवं ग्रामोद्योग की संस्थाओं से संबंध करना तथा उनके लिए जीवन यापन एवं पुर्नवास हेतु सुविधा दिलाने का प्रयास करना ।

8 बन्धुआ मजदूरी, बाल श्रमिकों की मुक्ति एवं पुर्नवास तथा बाल विकास की व्यवस्था करने का प्रयास करना ।

9 अपारम्परिक उर्जा श्रोत संयंत्रों, गोबर गैर, बायो गैस, सौर उर्जा पर आधारित कार्यकामों का प्रदर्शन व विकास करने का प्रयास करना।

10 संस्थान द्वारा पर्यावरण सुधार हेतु वनीकरण वृक्षारोपण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का बंजर भूमि एवं खाली स्थानों पर करने का प्रयास करना ।

11 गांव एव खेतों के नजदीक बरबाद होते हुए जल का संग्रहण कर सिंचाई एवं पेयजल की व्यवस्था, बंजर एवं असिंचित भूमि में कुआ, चेक डंग, तालाब बंधीकरण की व्यवस्था करने का प्रयास करना व उसे कृषि एवं उद्यान लायक बनाने का प्रयास करना ।

12 निराश्रित महिलओं, बच्चों एवं वृद्धों के लिए असमर्थ आश्रम बनाना, नारी सुलभ केन्द्र एवं बाल विकास केन्द्रों का संचालन करना एवं उन्हें रोजगार परख शिक्षा व पूर्व सहयोग प्रदान करने का प्रयास करना ।

13 ग्राम एवं शहर विकास हेतु मार्गों, खडंजा एवं गलियां, नालियां व सुधारीकरण एवं विकास करने का प्रयास करना ।

14 पिछडे हुए ग्रामीण युवजनों के लिए निःशुल्क प्रमोद गृह, आयोग्य एवं स्वास्थ्य केन्द्रोंज्ञानार्जन हितार्थ पुस्तकालय, वाचनालय एवं मनोरंजन केन्द्र की स्थापना कर संचालित करने का प्रयास करना।

## संस्था का ज्ञापन पत्र

1 संस्था का नाम : तारीफ जन कल्याण समिति

2 संस्था का पंजीकृत कार्यालय : संस्था का पंजीकृत कार्यालय सदैव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रहेगा और वर्तमान में यह निम्न पते पर स्थापित है:– Shop No. 222 B-1 Badarpur - 110044

2 क कार्यक्षेत्र :

3. संस्था के उद्देश्य व लक्ष्यः–

जिन उद्देश्यों के लिए संस्था की स्थापना की गई है वे निम्न प्रकार हैः–

1 कालोनी में पार्क व सीवर पानी नलकूप एमसीडी स्कूल बिजली लाईट आदि की सरकार द्वारा व्यवस्था करना व कराना।

2 संस्था के मुख्य कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य ग्राम विकास, लघु उद्योग विकास महिला विकास आदि कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करके देश की जनता खास कर कमजोर वर्ग के लोगों, अनूसूचित जातियां, अनूसूचित जन जातियां, अल्प संख्यकों का सांस्कृतिक शैक्षिक भौतिक उत्थान करना एवं इस योग्य बनाया जाना है जिससे वे अन्य नागरिकों की भाँति अपना योगदान भारत निर्माण में उचित रूप से दे सकें।

3 ग्राम एवं शहरी मलीन क्षेत्रों में जन जातियों, अनुसूचित जनजातियों, कमजोर वर्ग, अल्प संख्यक वर्ग से शिक्षा, कला, कौशल, पौढ शिक्षा कार्यक्रमों को व्यापक बनाकर उनके लिये शिक्षा संस्था से शिक्षण योग्य सामग्री, छात्रावास औद्योगिक विद्यालय संचालन कराना व उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

4 ग्रामों एवं शहर के मलीन क्षेत्रों में धमार्थ, चिकित्सा संबंधी सेवायें तथ उनके रहन सहन के स्तर को उपर उठाने हेतु लेट्रिन सार्वजनिक शौचालय स्वच्छ जल हेतु हैन्ड पम्प इत्यादि लगवाना व उपलब्ध करवाने का प्रयास करना ।

23

# CERTIFICATE OF REGISTRATION

## UNDER SOCIETIES REGISTRATION ACT OF XXI, 1860

**Registration No. S/ 61450 /2008**

I hereby certify that तारीफ जन कल्याण समिति

located at शॉप नं० 222 B-1, बदरपुर, दिल्ली - 110044

has been registered*under

SOCIETIES REGISTRATION ACT OF 1860.

Given under my hand at Delhi on this 5th day of

March Two Thousand Eight.

Fee of Rs. 50/- Paid

Balwant Singh

(*BALWANT SINGH*)
**REGISTRAR OF SOCIETIES**
**GOVT. OF NCT OF DELHI**
**DELHI**

Seal

Registrar of Societies
Delhi

** This document certifies registration under the Society Registration Act, 1860. However, any Govt. department or any other association/person may kindly make necessary verification (on their own) of the assets and liabilities of the society before entering into any contract/assignment with them.*

Secretary
Tareef Jan Kalyan Samiti
Badarpur, New Delhi-44

नकल शजरा किश्तवार ग्राम बदरपुर तहसील महरौली जिला देहली
साल 1953-54

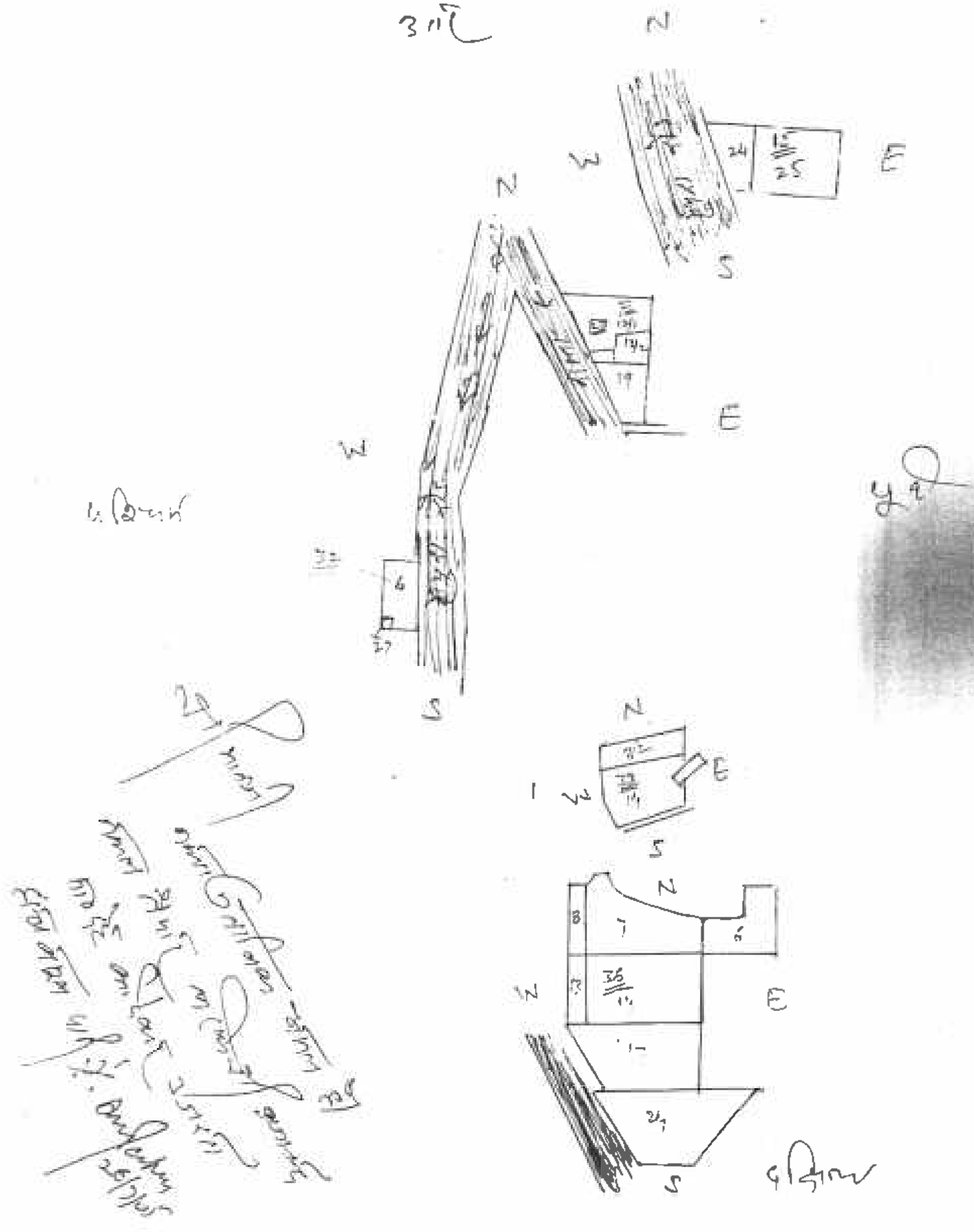

# फार्म P-4/Form P-4

(देखें नियम 54/ See Rule 54)

नकल

खसरा गिरदावरी/Khasra Girdawari

ग्राम Village [illegible]

तहसील Tehsil [illegible] / जिला Distt. [illegible]

| खेत का क्रमांक No. of Field | क्षेत्रफल एकड़ों में या हेक्टेयर में Area in acres or settlement rights | खतौनी खाता संख्या Number of khatauni khata | नाम भूमिस्वामी Name of tenure holders as classified in Part I of the Khatauni | Name of tenure holder if any, as classified in Part II of the Khatauni | कुआं व सिंचाई के अन्य साधन Method of irrigation & wells | खरीफ Kharif: फसल / Crop | सिंचित / Irrigated | असिंचित / Unirrigated | रबी/Rabi: फसल / Crop | सिंचित / Irrigated | असिंचित / Unirrigated | जायद Zaid: फसल / Crop | सिंचित / Irrigated | असिंचित / Unirrigated | दो फसली Dofasli: सिंचित / Irrigated | असिंचित / Unirrigated | Details of uncropped land: किस्म भूमि Class of land | क्षेत्रफल Area | Kind and number of full grown trees on each plot | विवरण Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 27/12/2 | 1-11 | 18 | [illegible] | | | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | |
| | | | [illegible] गा० ५६ | | | — | — | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2-6 | " | (340) [illegible] | | | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | |
| 27 | 0-5 | 19 | [illegible] | | | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | |
| | [illegible] गा० ५६ | | | | | — | — | | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2/6/03

फार्म P-4/Form P-4
(देखो नियम 54/ See Rule 54)
ग्राम Village: नरेला
तहसील Tehsil: [illegible]
जिला Distt: [illegible] दिल्ली

खसरा गिरदावरी/Khasra Girdawari 2005-2006.

| खेत का नम्बर No. of Field | क्षेत्रफल एकड़ों में या स्थानीय पैमाने में Area in acres or customary Bigas | खतौनी खाता संख्या Number of khatauni khata | नाम भूमिधर जैसा कि खतौनी के प्रथम भाग में दर्ज है Name of tenure holders as classified in Part I of the Khatauni | नाम असामी जैसा कि खतौनी के द्वितीय भाग में दर्ज है Name of tenure holder if any as classified in Part II of the Khatauni | कुओं व सिंचाई के अन्य साधन Method of irrigation & wells | खरीफ Kharif: फसल / Crop | खरीफ Kharif: सिंचित / Irrigated | खरीफ Kharif: असिंचित unirrigated | रबी Rabi: फसल / Crop | रबी Rabi: सिंचित / Irrigated | रबी Rabi: असिंचित unirrigated | जायद Zaid: फसल / Crop | जायद Zaid: सिंचित / Irrigated | जायद Zaid: असिंचित unirrigated | दो फसली Dofasli: सिंचित / Irrigated | दो फसली Dofasli: असिंचित unirrigated | Details of ...: [illegible] | Details of ...: क्षेत्रफल Area | किस्म व संख्या दरख्तान Kind and number of full grown trees on each plot | विवरण Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 27/12/2 | 1-11 | 18 | [illegible] / [illegible] पुत्र [illegible] / [illegible] / [illegible] 32 | [illegible] | | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | [illegible] | [illegible] 11 4/55 Notification. 11-11-71 [illegible] 5 2/2 [illegible] (0-2) [illegible] 0-6 [illegible] 0-5 [illegible] |
| 19 | 2-6 | 18 | [illegible] | [illegible] | | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | [illegible] |
| 27 | 0-4 | 19 | [illegible] / [illegible] / [illegible] / तारीख - [illegible] / [illegible] / [illegible] / [illegible] / [illegible] | [illegible] | | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | [illegible] | [illegible] |

[illegible] F6 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

29/11/08

26

(27)

# फार्म P 4/Form-P 4

(देखें नियम 54/See Rule 54)

1984-85

खसरा गिरदावरी/Khasra Girdawari

ग्राम/Village बांकनेर

तहसील व जिला दिल्ली/Tehsil & District Delhi

| खेत का क्रमांक Number of field | क्षेत्रफल एकड़ों में या बन्दोबस्ती बीघों में Area in acres or settlement bighas | क्रमांक खाता खतौनी Number of khatauni khata | नाम भूमिधर जैसा कि खतौनी के प्रथम भाग में दर्ज है Name of tenure holders as classified in Part I of the khatauni | नाम आसामी जैसा कि खतौनी के द्वितीय भाग में दर्ज है Name of tenure holder if any, as classified in Part II of the khatauni | कुआं व सिंचाई के अन्य साधन Method of irrigation & wells | सावनी/Kharif 1984 25/9/84 जिन्स/crop | सिंचित/irrigated | असिंचित/unirrigated | हाड़ी/Rabi 1985 19/2/85 जिन्स/crop | सिंचित/irrigated | असिंचित/unirrigated | जायद रबी/Zaid जिन्स/crop | सिंचित/irrigated | असिंचित/unirrigated | दो फसली/Dofasli सिंचित/irrigated | असिंचित/unirrigated | क्षेत्रफल गैर काश्त मुताबिक नक्शा मिलान रकबा Details of uncropped land to agree with columns of the area statement: किस्म भूमि Class of land | क्षेत्रफल Area | किस्म व तादाद दरख्तान कामल Kind and number of full grown trees on each plot | विवरण REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 27/12/2 | 1-11 | 18 | तोताराम - शीशराम पुत्रगण तारीफ सिंह आ सा० देह | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | बं.उ. गैरमुमकिन | 1-11 | X | X |
| 19 | 2-6 | 18 | उपरोक्त | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | बं.उ. गैरमुमकिन | 2-6 | X | X |

मुकाबला पटवारी 24/9/86

मुकाबला कानूनगो

24/9/86

O.K.M. 24/9/86

24/9/86

B. Quisanji

Sucha Ram

(28)

# फार्म P 4/Form-P 4

(देखें नियम 54/See Rule 54)

मसाल 1975-76

नक़ल खसरा गिरदावरी/Khasra Girdawari

ग्राम/Village [illegible]

तहसील व जिला दिल्ली/Tehsil & District Delhi

| खेत का नम्बर Number of field | क्षेत्रफल एकड़ों में या बन्दोबस्ती बीघों में Area in acres or settlement bighas | नम्बर खाता खतौनी Number of khatauni khata | नाम भूमिधर जैसा कि खतौनी के प्रथम भाग में दर्ज है Name of tenure holders as classified in Part I of the khatauni | नाम आसामी जैसा कि खतौनी के द्वितीय भाग में दर्ज है Name of tenure holder if any, as classified in Part II of the khatauni | कुआं व सिंचाई के अन्य साधन Method of irrigation & wells | सावनी/Kharif 4/9/75 जिन्स/crop | सिंचित/irrigated | असिंचित/unirrigated | हाड़ी/Rabi 5/2/76 जिन्स/crop | सिंचित/irrigated | असिंचित/unirrigated | जायद रबी/Zaid जिन्स/crop | सिंचित/irrigated | असिंचित/unirrigated | दो फसली सिंचित/irrigated | असिंचित/unirrigated | क्षेत्रफल गैर काश्ता मुताबिक नक्शा मिलान रक्बा Details of uncropped land to agree with columns of the area statement: किस्म भूमि Class of land | क्षेत्रफल Area | किस्म व तादाद दरख्तान कामिल Kind and number of full grown trees on each plot | विवरण REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 27/12/2 | 1-11 | — | [illegible] राम - [illegible] [illegible] [illegible] बराबर | X | - | - | - | - | - | — | — | — | — | — | — | — | [illegible] | 1-11 | X | X |
| 19 | (1) 2-6 | - | उपरोक्त | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | [illegible] | 2-16 | X | X |

[illegible]

मुकाबला [illegible]

[illegible] 24/9/86

[illegible] 24/9/86

(29)

सदस्य
दिल्ली विधान सभा
सदस्य
दिल्ली जल बोर्ड

रामवीर सिंह बिधूड़ी

दिनांक: 15 मार्च, 2008

परियोजना निदेशक (अनधिकृत कालोनी प्रकोष्ठ)
शहरी विकास विभाग,
दिल्ली सचिवालय, प्लेयर्स बिल्डिंग,
आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली।

महोदय,

मैं यह पत्र अपने विधानसभा क्षेत्र बदरपुर के अंतर्गत ए एवं बी-ब्लॉक, गॉव बदरपुर की बढ़ी हुई आबादी के संबंध में लिख रहा हूं। उक्त दोनों ब्लॉक गॉव की लाल डोरा बढ़ी हुई आबादी में है और यह सन्-1975 से पहले के बसे हुए हैं, जिनमें बिजली, सीवर-पानी तथा सड़क आदि की सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया उपरोक्त दोनों ब्लॉकों को गॉव की लाल डोरा की बढ़ी हुई आबादी में दर्ज करने की कृपा करें। आभारी रहूंगा।

सादर,

आपका,

(रामवीर सिंह बिधूड़ी)

J-62, सरिता विहार, नई दिल्ली - 110 076 फोन : (ऑ०) : 26666627, (नि०) : 26954565

# TARIF JAN KALYAN SAMITI, BADARPUR VILLAGE, NEW DELHI - 110044

| S.No. | Name | Father/Husband's Name | Plot No. | Water Yes/No | Electricity ConnectionYes / No | Member of Samiti Yes / No | Plot or Flat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sh. Shailender | Sh. Shyam Singh | B-222 | Yes | Yes | Yes | Plot |
| 2 | Sh. Narender | Sh. Shyam Singh | B-222/1 | Yes | Yes | Yes | Plot |
| 3 | Sh. Naveen Kumar | Late Sh. Shardha Nand | B-222/2 | Yes | Yes | Yes | Plot |
| 4 | Smt. Parmali Devi | Late Sh. Shish Ram | B-222/3 | Yes | Yes | Yes | Plot |
| 5 | Sh. Amrit Singh | Late Sh. Shish Ram | B-222/4 | Yes | Yes | Yes | Plot |
| 6 | Smt. Meena Devi | Sh. Late Sh. Janty | B-222/5 | Yes | Yes | Yes | Plot |
| 7 | Sh. Lokesh Kumar | Sh. Birjanand | B-222/6 | Yes | Yes | Yes | Plot |
| 8 | Sh. Pankaj Kumar | Sh. Birjanand | B-222/7 | Yes | Yes | Yes | Plot |
| 9 | Sh. Birjanand | Late Sh. Layak | B-222/8 | Yes | Yes | Yes | Plot |
| 10 | Sh. Harish | Late Sh. Roop Singh | B-222/9 | Yes | Yes | Yes | Plot |
| 11 | Sh. Mahesh Chand | Late Sh. Roop Singh | B-222/10 | Yes | Yes | Yes | Plot |
| 12 | Sh. Anil | Late Sh. Roop Singh | B-222/11 | Yes | Yes | Yes | Plot |
| 13 | Sh. Roop Ram | Late Sh. Meher Chand | B-222/12 | Yes | Yes | Yes | Plot |
| 14 | Sh. Pawan Kumar | Sh. Kamal Raj | A-222 | Yes | Yes | Yes | Plot |
| 15 | Sh. Kamal Raj Verma | Late Sh. Layek Ram | A-222/1 | Yes | Yes | Yes | Plot |
| 16 | Sh. Rajender | Late Sh. Meher Chand | A-222/2 | Yes | Yes | Yes | Plot |
| 17 | Sh. Leela Nagar | Late Sh. Meher Chand | A-222/3 | Yes | Yes | Yes | Plot |
| 18 | Sh. Bhoop Singh | Late Sh. Meher Chand | A-222/4 | Yes | Yes | Yes | Plot |
| 19 | Sh. Rajesh Duggal | Late Sh. C.L. Duggal | E-22 | Yes | Yes | Yes | Plot |

Secretary

30

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30. | Status of Services | : Nos /Area/ Width Length | Stage of Development |
| | Roads | : M.C.D. | R.C.C. |
| | Water Supply | : Delhi Jal Board | M.C.D. |
| | Hand Pumps | : Nil | |
| | Tube wells | : Nil | |
| | Underground Water Tank | : Nil | |
| | Street Light | : B.S.E.S. Yamuna Power Ltd. | |
| | ESS / Transformers / Generators | : 1 (One) | B.S.E.S. Yamuna Power Ltd. |
| | Drains | : | M.C.D. |
| | Sewerage / Sanitation | : Nil | |
| | Fire Fighting Installations | : Nil | |
| 31. | Status of Facilities | : Nos /Area/ Width Length | Stage of Development |
| | Parks / Transport lots / Common Open space | As per Drawing<br>Nil | |
| | Schools | : 2 (Two) | |
| | Community Hall | : As per Drawing | |
| | Common parking areas | : Nil | |
| | Dispensary / Health Centre | : As per Drawing | |
| | Religious structures | : As per Drawing | |
| | Police Post / Fire Post | : As per Drawing | |

Enclosures :

a) Resolution of the Resident Society.
b) Registration Certificate of Society with authenticated List of members / owners / occupants.
c) Existing Survey (05 copies + CD)
d) Regularisation Plans/ 5 Lay out Plan (Service plan (05 copies* CD).
e) Undertaking as mentioned.

Secretary
Tareef ... Kalyan Samiti
Badarpur, New Delhi-44
Signature of Authorised Signatory
Resident Society

ARCHITECT
P. P. VERMA
ARCH. C.A./95/19001
145-C, D.D.A. FLAT
JHILMIL, DELHI-110095

19. List of members with Plot/Property No. : As per Attached List
(to be attached)

20. Percentage of Residents/house owners
as members of the Resident Society : 100%

21. No. of Built-up Plots: (Min.35% of Gr.Floor permissible coverage)
(i) Upto 100 sq.mts. : 04
(ii) Above 100 sq.mts. : 10
(iii) Above 250sqm. : 05

22. No. of Vacant Plots :
(i) Upto 100 sq.mts. : Nil
(ii) Above 100 sq.mts. : Nil
(iii) Above 250sqm. : Nil

23. Land use : As per Master Plan :
As per Zonal Plan : E-Zonal Plan

24. Whether falls in Reserved Forests or
Regional Park (Yes/No) : No

25. Whether the Colony effects / falls over
Master Plan Road alignment : No
Railway Line : No
Metro Corridor : No
Water Supply/sewerage lines/Utilities : No
Works : No

26. Any Monuments/Heritage Buildings in the
Colony or in the vicinity? : No

27. Key Plan/Site Plan of unauthorised : As per Attached
Colony and description of boundaries .......
................
(Please attach scaled Key Plan/Plan of Colony superimposed on Zonal Plan/City Survey Map indicating North Point, surrounding features, adjacent roads, buildings, drains, electricity, lines etc.)

28. NOC as mentioned at para IV (ii) : : As per Attached
(Please attach)

29. Undertaking/Indemnity Bond. : As per Attached
(Please attach)

ARCHITECT:
P. P. VERMA
ARCH. C.A./95/19001
145-C, D.D.A. FLAT
JHILMIL, DELHI-110095

Secretary
Tareef Jan Kalyan Samiti
Badarpur, New Delhi-44

# APPLICATION & CHECK LIST TOR REGULARISATION OF UNAUTHORISED VILLAGE (TO BE FILLED UP BY THE RESIDENT SOCIETY AND TO BE COUNTERSIGNED BY ARCHITECT-TOWN PLANNER & SERVICE ENGINEER)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Name and address of the Colony | : | Badarpur Village, Delhi - 110044 |
| 2. | Regn. No. in the GNCTD list | : | |
| 3. | Name of Resident Society | : | Tarif Jan Kalyan Samiti (Regd.) |
| 4. | Registration no. of the Resident Society (with Registrar of Societies) | : | 61450 / 2008 |
| 5. | Names of Physical Surveyor & Socio-economic Surveyor | : | Girish Badola |
| 6. | Name of Services Engineer | : | P.P. Verma |
| 7. | Name of Supervising Engineer | : | P.P. Verma |
| 8. | Name of Authorised Signatories | : | NAVEEN (1) 9990115011 (2) 9990005363 |
| 9. | Category of colony (as notified vide Public Notice dated 14.10.2007) | : | "F" |
| 10. | Revenue Village | : | Badarpur Village |
| 11. | Zone (As per Master Plan of Delhi) | : | Central Zone |
| 12. | Date from which unauthorised Colony Exists | : | 1976 |
| 13. | Location/surroundings (Towards North,South,East & West) | : | North : Prop. No. 222-C & D/DDA L.S.C. & NTPC<br>South : M.C.D. Primary School & Shiv Mandir<br>East : L.I.G. Flats, Post Office & Police Post<br>West : Dispensary, Bharat Ghar, Electricity Office & M.C.D. Office |
| 14. | Development Area No.<br>MCD/NDMC/Cantt.Board Area?<br>Whether falls in Notified Slum Area? | : | Not Applicable |
| 15. | Total area of Unauthorised Colony | : | Approx. 3592 Sq. Meter |
| 16. | Land Status/Ownership | : | Agricultural Land |
| 17. | Court Case, if any (Please attach details) | : | Not Known |
| 18. | Land whether notified for acquisition | : | Not Known |

Secretary
Tarif Jan Kalyan Samiti
Badarpur, New Delhi-44

ARCHITECT
P. P. VERMA
ARCH. C.A./95/18001
145-C, D.D.A. FLAT
JHILMIL, DELHI-110095

# तारीफ जन कल्याण समिति

शॉप नं. 222 बी-1, बदरपुर, दिल्ली-110044

## LIST OF OFFICE BEARERS

| S.NO. | NAME | ADDRESS | POST |
|---|---|---|---|
| 1. | Sh. Birjanand | 444, Bardarpur Village, Delhi - 44 | President |
| 2. | Sh. Amrit Singh | 442A, Bardarpur Village, Delhi - 44 | Vice President |
| 3. | Sh. Naveen | 442A, Bardarpur Village, Delhi - 44 | Gen. Secretary |
| 4. | Smt. Veena | 444, Bardarpur Village, Delhi - 44 | Secretary |
| 5. | Sh. Kamal Raj Verma | 179, Bardarpur Village, Delhi - 44 | Treasurer |
| 6. | Sh. Rupesh Kumar | 222B, Main Market Bardarpur Village Delhi - 44 | Exec. Member |
| 7. | Sh. Shyam Singh | 444, Bardarpur Village, Delhi - 44 | Exec. Member |

Birjanand

Tareef ... Kalyan Samiti
Badarpur, New Delhi-44

(BIRJANAND)
President

Secretary
Tareef Jan Kalyan Samiti
Badarpur, New Delhi-44

(NAVEEN)
General Secretary

# तारीफ जन कल्याण समिति
शॉप नं. 222 बी-1, बदरपुर, दिल्ली-110044

To

The Project Director
Unauthorised Colonies Cell
Urban Development
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat
I. P. Estate, New Delhi-110002.

**SUBJECT : ENCLOSURES AS REQUIRED REGULARISATION OF UNAUTHORIZED EXTENDED AREA OF BADARPUR VILLAGE**

Sir,

Please find enclosed herewith as required by you for Regularisation of unauthorized extended area of Badarpur village are given below :

a) Resolution of the Resident Samiti.
b) Registration Certificate of Samiti with authenticated List of members / owners / occupants.
c) Existing Survey (05 copies + CD)
d) Regularisation Plans/ 5 Lay out Plan (Service plan (05 copies* CD).
e) Undertaking as mentioned.

Thanking you

Your faithfully

Birja Nand

BRIJANAD

Tareef ... Kalyan Samiti

... Delhi-44

(BRAJNAND)
President

Encl. : As above (5 sets) with digitized CD's

(36)

# तारीफ जन कल्याण समिति

शॉप नं. 222 बी-1, बदरपुर, दिल्ली-110044

To

The Project Director
Unauthorised Colonies Cell
Urban Development
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat
I. P. Estate, New Delhi-110002.

**SUBJECT : REGULARISATION OF UNAUTHORIZED EXTENDED AREA OF BADARPUR VILLAGE.**

Sir,

As desired, by Govt. of India had issued guidelines for regularization of unauthorized extended area of village and the public information on this was given in advertisement published in leading newspapers on 24.02.2008. Tarif Jan Kalyan Samiti (Regd. No. 61450) hereby enclosed five sets and digitized CD's of complete information regarding latest layout plan, no. of plots, population as required in the stipulated prescribed performa for further processing at your end for regularisation of Badarpur which is in existence since 1975.

It may be mentioned here for your kind information that the entire Badarpur Village has been electrified and water pipes have been laid down. Majority of residents have paid development charges in getting electricity and water connections. The roads, have also been developed by laying R.C.C. Street lights has been provided only on main road.

The samiti has tried its level best to provide detailed and correct information as required and hope that your goodself is satisfied for its regularisation which is pending since long.

Once again the association request that on the basis of information provided and the circumstance explained above, the Badarpur Village may be regularied along with other unauthorized extended area of village at the earliest to enable the residents to avail all sorts of facilities which the citizens / residents are entitled.

Thanking you

Your faithfully

Secretary
Tareef Jan Kalyan Samiti
Badarpur, New Delhi-44

**(NAVEEN)**
General Secretary

Encl. : As above (5 sets) with digitized CD's

MOST IMMEDIATE (37)

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
10TH LEVEL, DELHI SECRETARIAT,
I.P.ESTATE NEW DELHI

F.No. 1644 Dated: 13/08/08

To

The President, Tarit Jan Kalyan Samiti, shop No. 222 B-1, Badarpur Delhi - 44

**Sub: Verification of documents of unauthorized colonies for the purpose of regularization.**

Sir,

A preliminary scrutiny of the application submitted by the unauthorized colony and figuring at ~~serial~~ Regd. No. 03/ E.L.D of the list of such unauthorized colony has been made. It has been noted that you have not submitted the following required documents, along with your application:-

**As per check list enclosed.**

You are therefore, requested to kindly get the registration of your resident society done immediately, if not already registered, with the Registrar of Societies GNCT of Delhi. A copy of the certificate along with other deficient documents as pointed out above may please be got ready as the government of NCT of Delhi proposes to hold a camp shortly for rectification of deficiencies in the application forms.

This is in pursuance of the decision to grant a provisional registration certificate. The date and time of the camp would be notified through public advertisement.

Yours faithfully,

(J.G. ARORA)
DY. SECRETARY (UC)

Encl: Check list.

CHECK LIST OF DOCUMENTS

Name of Colony:- Tarif Jan Kalyan Samiti,
Regn./Sl. No.:- 003/ELD Badarpur, New Delhi-44

- Registration Certificate of Resident Society yes but not attested
- Existing Layout Plan of the colony on the scale of 1:1000, prepared by an Architect/Town Planner signed by President/Secretary of the Resident Society. Not available
- Complete list of members with details such as plot Nos. and area of the colony yes
- Land status with Khasra No. accompanied by a site plan giving the physical description of the site yes
- Undertakings: yes
  i. That they shall abide by the layout plans as may be approved with or without conditions
  ii. That they shall transfer the land available, if any for social infrastructure in the name of the DDA or the MCD/NDMC, free of cost, in order to provide such social infrastructure

14 August 2008.

(38)

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
10TH LEVEL, DELHI SECRETARIAT,
I.P. ESTATE, NEW DELHI

F. No. 1-33/UC/UD/Policy/08/PF/ Dated:- 14 AUG 2008

To,

The President / Secretary
Tarif Jan Kalyan Samiti
Shop No. 222 B-1. Badarpur
Delhi - 44

Registration No. 03/ELD

Sub: - **Eligibility slip for issuance of Provisional Regularization Certificate.**

Sir,

The documents submitted by you have been scrutinized and your unauthorized colony bearing Registration No. 03/ELD has been found eligible for issuance of Provisional Certificate of Regularization.

Received
(Naveen Rawal)
14 August 2008

Yours faithfully
14/8/08
(Incharge)
Counter No. 01
Urban Development Deptt.
Delhi ...